

जारी।  
14.2.13

उत्तराखण्ड शासन  
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3  
संख्या- 12/पर्य-3-2013-8(83)/2001टी.सी.  
देहरादून दिनांक 14.2.2013



### अधिसूचना

जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा-22 की उपधारा-4(ए) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय डा० राकेश शाह, सदर्य सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून को उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

*Ramawati*  
(एस० रामास्वामी)  
प्रमुख सचिव

संख्या- /X-3-13/तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली।
2. अपर महानिदेशक, (वन्य जीव) भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय देहरादून।
3. उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव विविधता, प्राधिकरण भारत सरकार, 457, दक्षिणी स्ट्रीट, कल्पेश्वर नगर, नीलंकराई, चेन्नई-600041 (तमिलनाडु)।
4. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
7. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
8. प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तराखण्ड।
9. डा० राकेश शाह, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, उत्तराखण्ड।
- 10.आयुक्त कुमाऊँ/गढवाल मंडल, उत्तराखण्ड।
- 11.समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 12.समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
- 13.निदेशक, सूचना विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
- 14.निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुडकी को गजट में प्रकाशनार्थ।
- 15.स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
- 16.निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 17.अनुभाग अधिकारी, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
- 18.गार्ड फार्मल।

आज्ञा से  
(मनोज चब्दन)  
अपर सचिव